छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 10—02/2023/1—5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/01/2023

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
छत्तीसगढ़ शासन,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन,
नई दिल्ली।

विषय : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी (शहीद दिवस) को मौन धारण करने बाबत्।

—:0:—

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में प्रति वर्ष 30 जनवरी को पूर्वान्ह 11.00 बजे सारे देश में दो मिनट का मौन रखा जाता है।

2/ इस दिवस को मनाए जाने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्थायी अनुदेश निर्धारित किए गए हैं :—

(i) 30 जनवरी को पूर्वान्ह 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखा जाना है और अन्य काम तथा गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।

(ii) जहॉ कहीं संभव हो, दो मिनट के मौन की अवधि शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर या आर्मी गन से दी जानी चाहिए। सायरन 10.59 बजे से 11.00 बजे तक बजाए जाने चाहिए और दो मिनट के बाद 11.02 बजे से 11.03 बजे तक पुनः क्लीयर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहॉ सायरन उपलब्ध हो वहां यह कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए।

(iii) सिगनल/सायरन (जहॉ उपलब्ध हो), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें।

(iv) जिन स्थानों पर सिगनल की कोई व्यवस्था न हो वहॉ पूर्वान्ह 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

क्रमशः......2

3/ विगत समय में यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों में दो मिनिट का मौन रखा जाता है, परंतु आम–जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने काम में लगी रहती है जो अप्रिय परिलक्षित होती है। शहीदों की स्मृति के रूप में मनाए जाने वाले "शहीद दिवस" को उचित गंभीरता से एवं जनता के और बेहतर सहयोग से मनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। उक्त आयोजन के संबंध में शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिला प्रशासन द्वारा समुचित अनुदेश जारी किए जाए। इस दिन के महत्व को प्रसारित करने हेतु भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका तथा राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषय पर Hybrid/online mode में भाषण और वार्ताएं आयोजित किए जाएं।

''शहीद दिवस'' मनाते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि COVID-19 के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन हों।

(अंशिका ऋषि पाण्डेय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क्रमांक एफ 10–02/2023/1–5 **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/01/2023**

प्रतिलिपि :

1. उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली की ओर परिपत्र क्रमांक सं. 2/1/2023 दिनांक 10 जनवरी 2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4. सचिव, मान. राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
7. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. सचिव, समस्त निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण, छत्तीसगढ़
9. रायपुर स्थित केन्द्रीय शासन के सभी कार्यालयाध्यक्ष,
10. एरोड्रम आफिसर, माना कैम्प, रायपुर

क्रमशः....3

11. जनरल कमांडिंग, छत्तीसगढ़ शासन,
12. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर
13. सचिव, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
15. समस्त निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/मान. संसदीय सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. अवर सचिव, छ.ग. शासन, सा.प्र.विभाग (अधी. शाखा), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
18. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट में प्रविष्टि करने का कष्ट करें।

<u>की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।</u>

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग